


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर संशोधित-आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृति/2011-13 दिनांक 09.03.2017 द्वारा निम्नलिखित व्याख्याता के सेवानिवृति आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किये जाता है:-

क सं.	नाम	पदस्थापन स्थान	पूर्व आदेश में अंकित त्रुटि	संशोधन जो किया जाना है
1	लक्ष्मी नारायण शर्मा	राउमावि, सतलाना (लूणी) जोधपुर	सेवानिवृति तिथि 31.08.2017	31.07.2017

शेष शर्तें मूल आदेश के अनुसार ही रहेगी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कुमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृति/2016-17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-


दिनांक:- 18/4/2017

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करें।

(6) संबंधित प्राध्यापक।

(7) रक्षित पत्रावली।

✓ (8) सम्बन्धित अनुभाग-


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)